

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

प्रकरण सं० : 180/2024

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

अनवान :

अजय कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।

बनाम

:- वादी

1. शंकरलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
2. कमलेश पुत्री शंकरलाल पत्नी गोरीशंकर जाति जाट निवासी सागड़ा हाल निवासी गांधीनगर वार्ड न० 2 नोहर तहसील नोहर।
3. कमलादेवी पत्नी शंकरलाल जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण एवं वकील प्रतिवादीगण श्री प्रदीप कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 डी०पी०एन० के खाता संख्या 65/91 के मु०न० 25 के किला न० 16, 25 मु०न० 26 के कि०न० 7 ता 14, 19 ता 22 मु०न० 28 के किला न० 1, 2, 9, 10 मु०न० 29 के किला न० 5, 6 की कुल 5.060 है० नहरी वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 शंकरलाल के नाम 1/10 हिस्सा, रोही मौजा 7 जे०एस०सल० के खाता संख्या 89/122 के मु०न० 44 के कि०न० 2 ता 5, 7 ता 9, 12 ता 14 की कुल 2.530 है० बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम 1/10 हिस्सा तथा रोही मौजा 10 जे०एस०एल० के खाता संख्या 181/224 के मु०न० 62 के कि०न० 20 ता 22 मु०न० 63 के कि०न० 16, 17, 24, 25 मु०न० 84 के कि०न० 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु०न० 85 के कि०न० 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 24, मु०न० 91 के किला न० 1/1, 1/2, 10, 11 मु०न० 92 के कि०न० 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6 ता 15, 18, 19, 22, 23 मु०न० 93 के कि०न० 4 ता 7, 13 ता 15 कुल 15.686 है० बारानी मय गैर मु० रास्ता वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम 1/10 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 शंकरलाल अकेले की बजाय वादी अजय कुमार व प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल, प्रतिवादी संख्या 2 कमलेश तथा प्रतिवादी संख्या 3 कमलादेवी को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.12.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(कल्पित शिवरान) RAS
(फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़



न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं० : 180/2024

अनवान :

अजय कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
2. कमलेश पुत्री शंकरलाल पत्नी गोरीशंकर जाति जाट निवासी सागड़ा हाल निवासी गांधीनगर वार्ड न० 2 नोहर तहसील नोहर।
3. कमलादेवी पत्नी शंकरलाल जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : वादी

वकील श्री प्रदीप कुमार : प्रतिवादी सं० 1 ता 3

दिनांक : 23.12.24



निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 7 डी०पी०एन० के खाता संख्या 65/91 के मु०न० 25 के किला न० 16, 25 मु०न० 26 के कि०न० 7 ता 14, 19 ता 22 मु०न० 28 के किला न० 1, 2, 9, 10 मु०न० 29 के किला न० 5, 6 की कुल 5.060 है० नहरी वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 शंकरलाल के नाम 1/10 हिस्सा, रोही मौजा 7 जे०एस०सल० के खाता संख्या 89/122 के मु०न० 44 के कि०न० 2 ता 5, 7 ता 9, 12 ता 14 की कुल 2.530 है० बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम 1/10 हिस्सा तथा रोही मौजा 10 जे०एस०एल० के खाता संख्या 181/224 के मु०न० 62 के कि०न० 20 ता 22 मु०न० 63 के कि०न० 16, 17, 24, 25 मु०न० 84 के कि०न० 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु०न० 85 के कि०न० 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 24, मु०न० 91 के किला न० 1/1, 1/2, 10, 11 मु०न० 92 के कि०न० 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6 ता 15, 18, 19, 22, 23 मु०न० 93 के कि०न० 4 ता 7, 13 ता 15 कुल 15.686 है० बारानी मय गैर मु० रास्ता वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम 1/10 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने सोहनलाल से विरासतन प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं० 4 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में अजय कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में शपथ पत्र अजय कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी सागड़ा प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 7 डी०पी०एन० संवत 2074-77 खाता संख्या 65/91 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 7 जे०एस०एल० संवत 2074-77 खाता संख्या 89/122 प्रदर्श 3, जामबंदी चक 10 जे०एस०एल० संवत 2073-76 खाता संख्या 181/224 प्रदर्श 4, जमाबंदी चक 7 जे०एस०एल० संवत 2074-2077 खाता संख्या 125/22 प्रदर्श 5, जमाबंदी चक 10 जे०एस०एल० संवत 2073-76 खाता संख्या 217/224 प्रदर्श 6, जमाबंदी चक 7 डी०पी०एन० संवत 2076-79 खाता संख्या 63/91 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दरतावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हरतगत प्रकरण में वादी ने चक 7 डी०पी०एन०, चक 7 जे०एस०एल० तथा चक 10 जे०एस०एल० के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 7 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही रोही मौजा 7 डी०पी०एन० के खाता संख्या 65/91 के मु०न० 25 के किला न० 16, 25 मु०न० 26 के कि०न० 7 ता 14, 19 ता 22 मु०न० 28 के किला न० 1, 2, 9, 10 मु०न० 29 के किला न० 5, 6 की कुल 5.060 है० नहरी वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 शंकरलाल के नाम 1/10 हिस्सा, रोही मौजा 7 जे०एस०सल० के खाता संख्या 89/122 के मु०न० 44 के कि०न० 2 ता 5, 7 ता 9, 12 ता 14 की कुल 2.530 है० बाराणी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम 1/10 हिस्सा तथा रोही मौजा 10 जे०एस०एल० के खाता संख्या 181/224 के मु०न० 62 के कि०न० 20 ता 22 मु०न० 63 के कि०न० 16, 17, 24, 25 मु०न० 84 के कि०न० 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु०न० 85 के कि०न० 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 24, मु०न० 91 के किला न० 1/1, 1/2, 10, 11 मु०न० 92 के कि०न० 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6 ता 15, 18, 19, 22, 23 मु०न० 93 के कि०न० 4 ता 7, 13 ता 15 कुल 15.686 है० बाराणी मय गैर मु० रास्ता वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम 1/10 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 शंकरलाल अकेले की बजाय वादी अजय कुमार व प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल प्रतिवादी संख्या 2 कमलेश तथा प्रतिवादी संख्या 3 कमलादेवी को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 डी०पी०एन० के खाता संख्या 65/91 के मु०न० 25 के किला न० 16, 25 मु०न० 26 के कि०न० 7 ता 14, 19 ता 22 मु०न० 28 के किला न० 1, 2, 9, 10 मु०न० 29 के किला न० 5, 6 की कुल 5.060 है० नहरी वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 शंकरलाल के नाम 1/10 हिस्सा, रोही मौजा 7 जे०एस०सल० के खाता संख्या 89/122 के मु०न० 44 के कि०न० 2 ता 5, 7 ता 9, 12 ता 14 की कुल 2.530 है० बाराणी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम 1/10 हिस्सा तथा रोही मौजा 10 जे०एस०एल० के खाता संख्या 181/224 के मु०न० 62 के कि०न० 20 ता 22 मु०न० 63 के कि०न० 16, 17, 24, 25 मु०न० 84 के कि०न० 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु०न० 85 के कि०न० 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 24, मु०न० 91 के किला न० 1/1, 1/2, 10, 11 मु०न० 92 के कि०न० 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6 ता 15, 18, 19, 22, 23 मु०न० 93 के कि०न० 4 ता 7, 13 ता 15 कुल 15.686 है० बाराणी मय गैर मु० रास्ता वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम 1/10 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 शंकरलाल अकेले की बजाय वादी अजय कुमार व प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल प्रतिवादी संख्या 2 कमलेश तथा प्रतिवादी संख्या 3 कमलादेवी को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कलियुक्त शंकरलाल) RAS
सहायक क्लर्क (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़